

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 01.10.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती ममता देवी पत्नी राजीव सिंह नि० नयी पुलिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 298 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनोज कुमार पुत्र राम अक्षवर, 02. रामकुबेर पुत्र सोमई, 03. हनुमान पुत्र पिताम्बर नि० खालेपुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 756 / 20, धारा 60.60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दीनानाथ उर्फ गोली पुत्र राम राज नि० डउहन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 215 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ज्ञानचन्द्र राना पुत्र स्व० श्रीराम नि० तिवारीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 398 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त मंगली प्रसाद पुत्र गंगाराम नि० घोघवा लालतपुरवा मौजा महेशभारी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०- 299 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

दुष्कर्म करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित आरोपी अभियुक्त – अजय कुमार पुत्र रामदेव पासवान नि० गोविन्द तिवारी का पुरवा देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०- 290 / 20, धारा 376.354.452.506 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था । जिसके संबंध में पीड़िता के पिता राम दुलारे पुत्र रामप्यारे नि० देवरदा तिवरीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।